>

Title: Need to regularise services of daily wages employee of Municipal Corporation of Mujjafar Pur in Bihar.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर में नगर निगम के 28 कर्मचारी, 20 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। उसमें से एक की दुखद मृत्यु हो गयी। कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियुक्ति हो जाए। कोर्ट ने कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महात्मा गांधी की राह पर चलने वाले लोगों की कोई कद्र नहीं है। हिंसा का वातावरण हो रहा है। संविधान की धारा 243 (ब) के खिलाफ कार्यवाही राज्य सरकार में हो रही है, इसलिए भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। गांधी के मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो भूख से मर रहे हैं, भूख-हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से 28 लाख महिला कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कलेजा पीटकर, थाली पीट-पीटकर, 24-25 नवंबर को जंतर-मंतर से चली गयीं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुयी। ...(व्यवधान)

महोदय, आशा कर्मचारी बिना मानदेय के कार्यरत है। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह से ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Syed Shahnawaz Hussain, please take your seat. Only Dr. Raghuvansh Prasad Singh's version will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, वे लोग मर गए। ये गरीबों के दुश्मन हैं। ...(व्यवधान) गांधी जी के विचारों की हत्या हुयी है। ...(व्यवधान) इसीलिए हिंसा का वातवारण है। ये लोग गरीबों के शत्रु हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया, उप मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ...(व्यवधान) भारत सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ेगी और न ही छोड़ना चाहिए। ...(व्यवधान) भारत सरकार की ओर से रूपए दिए गए हैं। लेकिन वहां गरीब आदमी बिना वेतन के मर रहा है। महोदय, बोर्ड ने कहा .....(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज कंक्ल्यूड।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम कंक्ल्यूड कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: He is finishing it. Hon. Member, please do not interrupt.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The hon. Speaker has allowed it. Shri Syed Shahnawaz Hussain, please take your seat.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Syed Shahnawaz Hussain, please take your seat.

Dr. Raghuvansh Prasad Singh, please conclude. You are speaking on a State subject. You are really not allowed but still you are allowed time. So, you have to conclude. You have to conclude now. Please take your seat.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए निगम के बोर्ड ने कहा, उच्च न्यायालय ने कहा और संविधान की धारा 243 में प्रावधान है कि उन लोगों का स्थायी नियुक्ति समायोजन होना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो रहा है। वहां लोग मर रहे हैं। एक व्यक्ति मर गया और 28 जीवन-मृत्यु की लड़ाई से जूझ रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: Raghuvansh Prasadji, what you are saying is not going on record. Please take your seat.

*(Interruptions) â€¦ *

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam will speak now.

...(*Interruptions*)